

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अहायद ब्लेन्डर (500) मुकाम 01/2/22

कोशलाशम बनाम इन्द्राशम वर्मा

किस्म मुकदमा 2/3/वे. 111/28 प्र.श.अ.निं 373 सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 24.12.21 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>नरपत पुनड</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/28 read</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>03.01.22</u> को पेश हो।</p> | |
| 03/01/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगिवा</p> <p>के नोटिस तामिल खुडा जल जिसे</p> <p>तामिल पत्रावली डिमा गया। मतः पत्रावली</p> <p>माइल दिनांक 16/03/2022 को पेश हो।</p> | <p>रजिस्ट्रार (SDO) बयडु</p> |
| 16/03/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथीगिवा</p> <p>तामिल अनुपस्थित। तामिल लमय तीन वा</p> <p>मावाज लगाई गई। तामिल मावाज 5:45 PM</p> <p>पर लगाई गई विप्राथीगिवा स्वयं मा उन्ही के</p> <p>से कोई अधिवक्ता मा मसिमावडु उपस्थित नही</p> <p>उमा लियेज विप्राथीगिवा के बिरुद एडवका</p> <p>डार्मवादी ममल में लाई जाली हो मतः पत्रावली</p> <p>वडा पत्रावली दिनांक 28/03/2022 को पेश हो।</p> | |

सदर


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

बाद / 2022 / 271
प्रार्थी

श.ज.स.
न्यायालय उप
कौशलाराम पुत्र खेतारस
जाति मधवाल, निवासी
पटवार मण्डल हरख
तहसील बायतु (स)

प्रार्थना पत्र अ
रजस आ

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 271

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/03/2022
विप्रार्थीगण

1. कौशलाराम पुत्र खेताराम वगैरा 07,
जाति मेघवाल, निवासी हींगडो की ढाणी,
पटवार मण्डल हरखाली,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. आम्बाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 57,
जाति मेघवाल, निवासी हींगडो की ढाणी,
पटवार मण्डल हरखाली,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 373/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - हींगडो की ढाणी, पटवार मण्डल - हरखाली, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 620/293, 623/293 व 625/293 रकबा क्रमशः 1.4400, 2.9771, व 6.5934 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2022/ 272 to 276
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का हरखाली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कौशलाराम पुत्र खेताराम वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री आम्बाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 57,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 28/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु